महत्वपूर्ण

संख्या-3766/9-1-2022-04निर्वाचन/2017

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः01 दिसम्बर, 2022।

विषयः नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए आपके जनपद में स्थित समस्त नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में आप द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव के आधार पर शासन द्वारा वार्डों के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचनाएं जनसामान्य से आपत्तियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से जारी की जा रही हैं। इन अधिसूनाओं के निर्गत होने के उपरान्त आप द्वारा जनपद स्तर पर निम्नांकित कार्यवाहियाँ पूर्ण करायी जानी हैः-

1. शासन से अधिसूचना प्राप्त होते ही, अधिसूचना का प्रकाशन जनपद स्तर पर प्रकाशित होने वाले सर्वाधिक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक में तत्काल कराया जाय।
2. संबंधित निकायों/निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करते हुए आमजन की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जाय।
3. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियाँ जो जिलाधिकारी को संबोधित हों और अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर आपको प्राप्त हों, पर अगले दिवस को विचार किया जाय और उनका सम्यक रूप से निस्तारण कर दिया जाय।
4. आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त आरक्षण की अन्तिम अधिसूचना का आलेख (यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके सुस्पष्ट कारण का अंकन करते हुए) अपने हस्ताक्षर से शासन को उसी दिन **ई-मेल आईडी-so.nagarvikassec1@gmail.com** पर उपलब्ध कराया जाय।
5. आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में एक प्रारूप भी संलग्न है जिस पर सूचनाएं अपेक्षित हैं। इन सूचनाओं को भी अवश्य संलग्न कर प्रेषित किया जाय।

2. चूँकि निर्वाचन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से अत्यन्त शीघ्र सम्पन्न की जानी है। अतः अनन्तिम अधिसूचना का प्रकाशन तत्काल कराते हुए, आपत्तियों का निस्तारण तथा उपर्युक्त प्रारूप पर सूचनाओं के साथ अन्तिम अधिसूचना का आलेख आपत्ति प्राप्ति हेतु निर्धारित समय सीमा, (सात दिन) की समाप्ति के पश्चात अगली तिथि को शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

वार्डो के आरक्षण संबंधी प्रपत्र

जनपद का नाम--

क्रम संख्या	निकाय का नाम	कक्ष संख्या	कक्ष का नाम	आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता व दूरभाष सं0	प्राप्त आपत्तियों का विवरण	
					आपत्ति का बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण	जिलाधिकारी का अभिमत/संवीक्षा
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचार करते हुए आपत्तियों का युक्तियुक्त निस्तारण करते हुए निस्तारण आदेश निर्गत कर दिया गया है एवं यथावश्यकतानुसार अन्तिम अधिसूचना के आलेख में संशोधन कर प्रेषित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी– उपरोक्त प्रपत्र का विवरण M.S Word, Font-Kruti Dev 010 Font में पेन ड्राइव सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।